

भाग-II**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 नवम्बर, 2025

संख्या लैज. 28/2025.— दि हरियाणा शेड्यूलड रोडज ऐण्ड कन्ट्रोलड एरियाज़ रस्ट्रिकशन आफ अनरेगुलेटिड डिवेलपमेंट (अमेन्डमेंट) ऑर्डिनन्स, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 19 नवम्बर, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5**हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित****विकास निर्बन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2025****हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित****विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963****को आगे संशोधित करने के लिए****अध्यादेश**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. यह अध्यादेश हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 8 में,— 1963 के पंजाब अधिनियम 41 की धारा 8 का संशोधन।
 - (I) उप-धारा (1) में,—
 - (i) परन्तुक में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
 "परन्तु यह और कि जहां धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन प्रकाशित योजना के अनुरूप अंचल में किसी औद्योगिक प्रयोजन के लिए अनुमति स्व-प्रमाणन के माध्यम से प्रदान की गई है, तो आवेदक को, उप-धारा (1) के अधीन प्रक्रिया को अपनाए बिना, ऐसी सूचना आनॅलाइन प्रस्तुत करनी होगी, जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा अपेक्षित फीस तथा प्रभारों का भी भुगतान करेगा।"
 - (II) उप-धारा (2) में,—
 - (i) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
 "परन्तु जहां अनुरूप अंचल के लिए अनुज्ञप्ति स्व-प्रमाणन के माध्यम से प्रदान की गई है, तो निदेशक द्वारा आगे कोई जांच करनी अपेक्षित नहीं होगी।"

चण्डीगढ़:

दिनांक 19 नवम्बर, 2025.

प्रो० असीम कुमार घोष,
राज्यपाल, हरियाणा।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।